



2026:AHC: 166780

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2055/1988

हरिशंकर पांडेय और एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार दुबे, गौतम कुमार मिश्रा, चंद्र शेखर मिश्रा, जे.एस. पांडेय, कुलदीप मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या- 90

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह आपराधिक अपील विद्वान अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 503 वर्ष 1984 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.08.1988 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी, हरि शंकर पांडेय को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 पठित धारा 34 के अंतर्गत छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपीलार्थी, रुद्र नारायण को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 पठित धारा 34 के अंतर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
3. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी किसी भी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध नहीं हुए हैं और प्रथम बार अपराध करने वाले हैं। प्रारंभ में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ही, वह प्रस्तुत करते हैं कि वह दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं और वर्तमान आपराधिक अपील में अपने अभिवेदनों को केवल दंडादेश के संबंध में सीमित कर रहे हैं।

4. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए उपर्युक्त अभिवेदन के दृष्टिगत, यह आपराधिक अपील विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश से संबंधित होने की सीमा तक खारिज की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

5. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से इस तथ्य के दृष्टिगत कि अभियुक्त-अपीलार्थी किसी भी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध नहीं हुए हैं, विद्वान विचारण न्यायालय को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) के प्रावधानों को लागू करना चाहिए था।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को सजा सुनाते समय न तो उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधानों को। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधानों या अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ न देने के लिए आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय तथा आदेश में कोई विशेष कारण नहीं बताए हैं।

7. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि, उस सीमा तक, आक्षेपित निर्णय और आदेश गंभीर अवैधता से ग्रस्त है, क्योंकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 के प्रावधानों का उल्लंघन है, और इसलिए, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

8. संहिता की धारा 361 यह अधिदेश देती है कि जहां न्यायालय अभियुक्त के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधानों या अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवहार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, तो वह ऐसा न करने के लिए विशेष कारण दर्ज करेगा। इस प्रकार, यदि न्यायालय इन लाभकारी प्रावधानों में से किसी को भी लागू न करने का विकल्प चुनता है, तो उन मामलों में जहां अभियुक्त अन्यथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



या अधिनियम की धारा 3 या 4 के लाभ के लिए पात्र है, उसके लिए विशेष कारण बताना आवश्यक है।

9. अभियुक्त-अपीलार्थियों को ऐसे लाभकारी विधान, अर्थात् अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का दावा करने का वैधानिक अधिकार है, और विद्वान विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अधिनियम की धारा 3 या 4 की प्रयोज्यता पर विचार करे। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधानों या अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था, तो विद्वान विचारण न्यायालय को इसके लिए कारण दर्ज करने चाहिए थे।

10. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य का विवाद नहीं करते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी प्रथम बार अपराध करने वाले हैं और किसी अन्य मामले में पूर्व में दोषसिद्ध नहीं हुए थे। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 के स्पष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत, और मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त-अपीलार्थियों के चरित्र, और विशेष रूप से घटना की तिथि से अब तक बीत चुके समय पर विचार करते हुए, वर्तमान वाद में अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जा सकता है।

11. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, तथा अधिनियम की धारा 4 के दायरे पर विचार करते हुए, यह आपराधिक अपील तदनुसार अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए खारिज की जाती है। हालांकि, अभियुक्त-अपीलार्थियों को अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाता है और उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है।

12. अभियुक्त-अपीलार्थी, अर्थात् हरि शंकर पांडेय और रुद्र नारायण, विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रत्येक 20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत करेंगे कि वे समाज में शांति और सदाचरण बनाए रखेंगे तथा भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

13. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियुक्त-अपीलार्थी विधि के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भुगतने के भागी होंगे। अभियुक्त-अपीलार्थी आज से एक माह की अवधि के भीतर बंधपत्र प्रस्तुत करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. आवश्यक अनुपालन के लिए इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

10 अगस्त, 2026

एम. तारिक

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”